# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 24.01.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | सर्वश्री राम कुमार पाहन, लक्ष्मण टुडू, एवं श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0 | झारखण्ड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति में एस0सी0 एस0टी0, ओ0बी0सी0 छात्र को आरक्षित श्रेणी में ही परिणाम घोषित किया जाता है। कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा हवाला दिया गया है कि उच्च न्यायालय के जजमेंट के आधार पर जिस श्रेणी में आवेदक अपना आवेदन करेंगे उसी श्रेणी में उसका परिणाम प्रकाशित किया जाता है, जिससे मेधावी छात्र 50 प्रतिशत पर ही सिमट कर रह जाते हैं जबकि झारखण्ड में एस0सी0 एस0टी0, ओ0बी0सी0 की कुल आबादी लगभग 85 प्रतिशत है। प्रथम जे0पी0एस0सी0 से पाँचवे जे0पी0एस0सी0 तक टी0टी0 की परीक्षा में एस0सी0 एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आवेदकों को आरक्षण दिया गया और उसमें जिन आवेदकों ने सामान्य वर्ग के आवेदकों के समतुल्य अंक प्राप्त किये उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में ही रखा गया न कि अनारक्षित कोटे की श्रेणी में। क्यों नहीं झारखण्ड राज्य में एस0सी0 एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आवेदक को सामान्य वर्ग के समतुल्य | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा |

क्र0पृ0उ0

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर उसे अनारक्षित कोटे की श्रेणी में उनके परिणाम घोषित की जा सके जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में एस0सी0एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आवेदकों को अधिक अंक प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति सामान्य कोटि में की जा रही है।<br>अतः मैं जे0पी0एस0सी0 की परीक्षा में एस0सी0 एस0टी0, ओ0बी0सी0 के आवेदकों को सामान्य वर्ग के समतुल्य या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर अनारक्षित सीट पर उनकी नियुक्ति किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। | |
| 02- | श्री आलमगीर आलम स0वि0स0 | कृपया विदित् हो, कि संविधान का 93वॉ संशोधन (93वॉ संशोधन-2005) के बाद आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जिसके अनुसार आज तामिलनाडु राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 69 है। झारखण्ड राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक ओ0बी0सी0 (पिछड़ी जाति) आबादी को सरकारी नौकरियों के लिए मात्र 14 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जा रहा है, जो पूर्व में 27 प्रतिशत निर्धारित था।<br>अतः झारखण्ड राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक ओ0बी0सी0 (पिछड़ी जाति) आबादी को सरकारी नौकरियों के लिए लागू आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ। | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा |
| 03- | श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0 | प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या- 7713, 7710, 7708 दिनांक- 15.12.2017, अधिसूचना सं0-7819, दिनांक- 20.12.2017 एवं अधिसूचना संख्या- 7707, दिनांक- 18.12.2017 में मेरे विधान सभा क्षेत्र बेरमो (35) के बेरमो प्रखंड में जरीडीह बाजार एवं बेरमो को, चन्द्रपुरा प्रखंड में चन्द्रपुरा एवं दुगदा | नगर विकास एवं आवास |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | को तथा जरीडीह प्रखण्ड में बाँधडीह को कुछ-कुछ पंचायतों को मिलाकर नगर निकाय बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जो क्षेत्र का अवलोकन किये वगैर भोगौलिक दृष्टिकोण से जायज प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उक्त प्रस्ताव जल्दीबाजी में लिया गया घोर अव्यवहारिक निर्णय है। उक्त सभी नगर निकाय बनाने का प्रस्ताव का संबंधित ग्रामीणों के द्वारा पूरजोर विरोध किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार इस तरह का छोट-छोटा नगर निकाय बनाने का कोई औचित्य नहीं है।<br>अतएव उक्त अधिसूचनाओं में प्रस्तावित पंचायतों को मिलाकर नगर निकाय बनाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की माँग करता हूँ। | |
| 04- | श्री रवीन्द्र नाथ महतो स०वि०स०, | राज्य में 38000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगभग 80 हजार सेविका और सहायिकाऐं अपनी माँगों को लेकर प्रत्येक जिला में लगातार धरना प्रर्दशन किये जा रहे जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रो से संचालित योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अभी तक उन सबों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सभी आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका-सहायिकाओं को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।<br>अतः राज्य के आँगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को उचित वेतनमान निर्धारित किये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। | योजना सह-वित्त |
| 05- | सर्वश्री अशोक कुमार, अमित कुमार मंडल एवं श्री बिरंची नारायण स०वि०स० | झारखण्ड राज्य में खासमहाल भूमि के लीज नवीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए प्रति एक लाख रूपैये प्रति एकड़ भूमि के बाजार मूल्य पर आवासीय भूमि एवं व्यवसायिक भूमि के लीज नवीकरण हेतु क्रमशः 20,000/- रूपैये तथा 40,000/- रूपैये सरकारी खजाने में जमा कराते हुए लीज का नवीकरण करने हेतु | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | संकल्प संख्या-154, दिनांक- 11.01.2018 निर्गत है। एवं सरकारी/गैरमजरूआ भूमि के लीज नवीकरण हेतु संकल्प संख्या- 48/03.04.2017 निर्गत किया गया है, जिसमें एक लाख रूपये प्रति एकड़ की भूमि का लीज नवीकरण में एक लाख बावन हजार पाँच सौ रूपये भुगतान करना पड़ता है। खासमहाल भूमि तथा गैर मजरूआ खास/सरकारी भूमि दोनों पर खासमहाल मैनुअल लागू है, जिसके नियमों के आलोक में लीज नवीकरण किया जाता है।<br>अस्तु लोकहित एवं राज्यहित में खासमहाल एवं गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती एवं नवीकरण की प्रक्रिया एवं भुगतेय राशि में एकरूपता लाने हेतु खासमहाल की तरह गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि के लिए भी लीज बंदोबस्ती/नवीकरण के प्रावधानों को सरलीकरण कर इसके दर में संशोधन करते हुए दोनों तरह की भूमि के लीज बंदोबस्ती एवं लीज नवीकरण में समरूपता लाने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते है। | |

राँची,
दिनांक- 24 जनवरी, 2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-1044/वि0 स0, राँची, दिनांक-23/01/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना सह- वित्त विभाग एवं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज बजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2018-1044/वि0 स0, राँची, दिनांक- 23/01/18.

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

23/01/18